चुनाव
अति. आवश्यक

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 6( )2018 कार्मिक/प्रमुवसं/6139-70 दिनांक 15-11-2018

निमित्त,

समस्त जिला कलक्टर्स।

विषय : आगामी विधान सभा चुनाव, 2018 के लिए वन विभाग के फील्ड स्टॉफ (टेरिटोरियल स्टॉफ) को अधिग्रहित नहीं करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ 8 (1)(3)/निर्वा./2009/4101 दिनांक 01.08.2018 द्वारा वन विभाग के फील्ड स्टॉफ (टेरिटोरियल स्टॉफ) को चुनाव कार्य हेतु अधिग्रहित नहीं किए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए है। उक्त आदेश में यह भी निर्देशित किया गया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तैयार किए जाने वाले डेटाबेस में विभाग के फील्ड स्टॉफ को शामिल नहीं किया जावे। महानिदेशक पुलिस, कानून व्यवस्था, राजस्थान जयपुर ने विधान सभा चुनाव 2018 में गत चुनावों की अपेक्षा मतदान केन्द्रों में वृद्धि होने के कारण चुनाव ड्यूटी में अत्यधिक पुलिस बल की आवश्यकता के मध्यनजर चुनाव ड्यूटी में फोरेस्ट गार्ड उपलब्ध कराने हेतु निवेदन करने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपने पत्रांक एफ 8 (2)(1)निर्वा/2018/6961 दिनांक 08.10.2018 से अवगत कराया है कि राज्य में पुलिस बल एवं होमगार्ड की अत्यधिक कमी के कारण चुनाव कार्य में केवल फोरेस्ट गार्डो के आदेश प्रत्याहरित किए गए है। अतः विधान सभा चुनाव 2018 के लिए 1600 फोरेस्ट गार्डो को चुनाव ड्यूटी में लगाये जाने की सहमति चाही गई। चुनाव के महत्वपूर्ण कार्य को देखते हुए विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न जिलो से कुल 1000 वनरक्षक चुनाव कार्य हेतु उपलब्ध कराये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक एफ 6 ( )2018/कार्मिक/प्रमुवसं/5490-510 दिनांक 24.10.2018 द्वारा समस्त मुख्य वन संरक्षकगणों को निर्देशित किया गया तथा समस्त संबंधित को सूचित किया जा चुका है।

उल्लेखनीय है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपने पत्रांक एफ 8 (2)(1)निर्वा/2018/6961 दिनाक 08.10.2018 से राज्य में पुलिस बल एवं होमगार्ड की अत्यधिक कमी के कारण चुनाव कार्य में केवल फोरेस्ट गार्डो के चुनाव ड्यूटी से मुक्ति आदेश प्रत्याहरित किए गए है। वन विभाग के अन्य फील्ड स्टॉफ (टेरिटोरियल स्टॉफ) को अभी भी चुनाव कार्य से छूट प्राप्त है।विभाग में वर्तमान में फील्ड स्टॉफ (टेरिटोरियल स्टॉफ) के स्वीकृत पदों के विरुद्ध 30 प्रतिशत पद रिक्त चल रहे हैं। प्रदेश में चुनावी माहौल होने के कारण वन क्षेत्रों में अवैध कटान एवं अतिक्रमण की आशंका निरन्तर बनी रहती है। वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यानों में वन्य जीवों की सुरक्षा की प्राथमिकता के मध्यनजर वन्य जीव प्रभाग से वनरक्षक चुनाव कार्य हेतु उपलब्ध कराया जाना संभव नही है । फील्ड स्तर के 1000 वनरक्षकों को चुनाव कार्य हेतु लगाये जाने के लिए पूर्व में ही जिलेवार सूची प्रेषित कर संबंधित उप वन संरक्षकगणों को निर्देशित किया जा चुका हैं अतः फील्ड स्टॉफ (टेरिटोरियल) को चुनाव कार्य हेतु भेजे जाने से वनों की सुरक्षा पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में और अधिक फील्ड स्टॉफ चुनाव कार्य हेतु उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं हो सकेगा। **कुछ जिलों के उप वन संरक्षकगणों द्वारा अवगत कराया गया है कि कुछ जिला कलक्टर्स द्वारा वन विभाग के फील्ड स्टॉफ को विधान सभा चुनाव कार्य हेतु स्थापित कार्यालय में ड्यूटी देने हेतु अधिग्रहित किया जा रहा है। अतः जिला स्तर पर वनरक्षक, जिन्हे पुलिस महानिदेशक द्वारा चुनाव कार्य में कानून एवं व्यवस्था हेतु तैनात किया जा रहा है, के अतिरिक्त अन्य फील्ड स्टॉफ को चुनाव कार्य हेतु अधिग्रहित नहीं करने का श्रम करें।**

इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर हेतु जारी हैण्ड बुक वर्ष 2014 के निर्देश क्रमांक 3.17.2 (ii) के अनुसार वन विभाग के वाहनों को भी चुनाव कार्य हेतु अधिग्रहित किए जाने से छूट प्राप्त है। अतः वन विभाग के वाहनों को चुनाव कार्य हेतु अधिग्रहित नहीं करने का श्रम करें।

भवदीय,

(सी.एस.रत्नासामी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 6( )2018 कार्मिक/प्रमुवसं/6171-6270 दिनांक 15-11-2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. समस्त मुख्य वन संरक्षकगण।
3. समस्त उप वन संरक्षकगण।
4. प्रभारी कम्प्यूटर सैल कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।

(दीपक भटनागर)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
राजस्थान जयपुर

Desk top DCF NZ Com. Mahaveer singh Letter 02 aug 2018

Scanned by CamScanner